



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 872]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939

No. 872]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 24 अक्टूबर, 2017

सं. फेमा. 388/2017-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2017

सा.का.नि.1324(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 25/ आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 25/ आरबी-2000) में संशोधन:

- i. मूल विनियमावली में एक नया पैरा 5सी जोड़ा जाएगा:

5सी. निवासी और अनिवासी संस्थाओं को सरलीकृत प्रक्रिया के साथ सुरक्षित (हेज) लेनदेन की अनुमति

पैरा 4, 5, 5ए और 5बी में कुछ भी होते हुए भी, व्यक्तियों के अलावा ऐसी निवासी संस्थाएं जिनका विदेशी मुद्रा में, और ऐसी अनिवासी संस्थाएं जिनका रूपया में एक्सपोजर है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों में निर्धारित सरलीकृत नियम व शर्तों के

अधीन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या इसके तहत जारी नियमों, विनियमों या निदेशों या आदेशों के तहत अनुमत लेनदेनों से उत्पन्न अंतर्निहित विनिमय दर जोखिम को सुरक्षित (हेज) कर सकती हैं।

टी. रवि शंकर, मुख्य महाप्रबंधक

[फा. सं. 1/15/ईएम/2015]

पाद टिप्पणी: मूल नियमावली 8 मई, 2000 को सा.का.नि. सं. 411(अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:

सा.का.नि. 756(अ) दिनांक 28.09.2000,	सा.का.नि. 577(अ) दिनांक 05.08.2008,
सा.का.नि. 264(अ) दिनांक 09.04.2002,	सा.का.नि. 440(अ) दिनांक 23.06.2009,
सा.का.नि. 579(अ) दिनांक 19.08.2002,	सा.का.नि. 895(अ) दिनांक 14.12.2009,
सा.का.नि. 222(अ) दिनांक 18.03.2003,	सा.का.नि. 635(अ) दिनांक 27.07.2010,
सा.का.नि. 532(अ) दिनांक 09.07.2003,	सा.का.नि. 608(अ) दिनांक 03.08.2012,
सा.का.नि. 880(अ) दिनांक 11.11.2003,	सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 30.10.2012,
सा.का.नि. 881(अ) दिनांक 11.11.2003,	सा.का.नि. 330(अ) दिनांक 23.05.2013,
सा.का.नि. 750(अ) दिनांक 28.12.2005,	सा.का.नि. 374(अ) दिनांक 02.06.2014,
सा.का.नि. 222(अ) दिनांक 19.04.2006,	सा.का.नि. 365(अ) दिनांक 01.06.2016,
सा.का.नि. 223(अ) दिनांक 19.04.2006,	सा.का.नि. 378(अ) दिनांक 25.10.2016 और
सा.का.नि. 760(अ) दिनांक 07.12.2007,	सा.का.नि. 260(अ) दिनांक 17.03.2017

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th October, 2017

No. FEMA. 388/2017-RB

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Second Amendment) Regulations, 2017

G.S.R.1324(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), namely:-

1. Short Title and Commencement

- i. These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Second Amendment) Regulations, 2017.
- ii. These regulations come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000):

- i. Under the principal regulations, a new para 5C to be added :

5C. Permission to resident and non-resident entities to undertake hedge transactions with simplified procedures

Notwithstanding anything contained in paras 4, 5, 5A and 5B, resident entities with foreign currency exposures and non- resident entities with rupee exposures, other than individuals, may hedge underlying exchange rate risk arising out of transactions permitted under Foreign Exchange Management Act, 1999, or rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder, subject to such simplified terms and conditions as may be set forth in the directions issued by the Reserve Bank from time to time.

T. RABI SANKAR, Chief General Manager

[F. No. 1/15/EM/2015]

Footnote: The principal regulations were published in the Official Gazette vide GSR No. 411(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide-

G.S.R. No. 756(E) dated 28.09.2000,	G.S.R. No. 577(E) dated 05.08.2008,
G.S.R. No. 264(E) dated 09.04.2002,	G.S.R. No. 440(E) dated 23.06.2009,
G.S.R. No. 579(E) dated 19.08.2002,	G.S.R. No. 895(E) dated 14.12.2009,
G.S.R. No. 222(E) dated 18.03.2003,	G.S.R. No. 635(E) dated 27.07.2010,
G.S.R. No. 532(E) dated 09.07.2003,	G.S.R. No. 608(E) dated 03.08.2012,
G.S.R. No. 880(E) dated 11.11.2003,	G.S.R. No. 799(E) dated 30.10.2012,
G.S.R. No. 881(E) dated 11.11.2003,	G.S.R.No. 330(E) dated 23.05.2013,
G.S.R. No. 750(E) dated 28.12.2005,	G.S.R.No. 374(E) dated 02.06.2014,
G.S.R. No. 222(E) dated 19.04.2006,	G.S.R.No. 365(E) dated 01.06.2016,
G.S.R. No. 223(E) dated 19.04.2006,	G.S.R.No. 378(E) dated 25.10.2016 and
G.S.R. No. 760(E) dated 07.12.2007,	G.S.R.No. 260(E) dated 17.03.2017